



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 2018/वैशाख 22, 1940

No. 174]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 2018/VAISAKHA 22, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना का विस्तार और संशोधन।

सं. 12/13/2017-डीपीडी-एमईआईटीवाई.— जबकि, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम आधार व्यापारियों के अंगीकरणों को प्रोत्साहन देकर तथा भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्मों के जरिए लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारियों के बीच भीम-यूपीआई के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारियों के लिए "भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक" नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017 -डीपीडी के जरिए योजना के प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया है।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब केंद्र सरकार एतद्वारा व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना नामक विषय के अंतर्गत अधिसूचित भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

"विषय: व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) प्रोत्साहन योजना"

1. पैराग्राफ 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात:-

व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना

1.1 पैराग्राफ 2.1: इस योजना का क्षेत्र उन फी एप्प प्रयोक्ताओं तक सीमित होगा जिन्होंने स्वयं को "मैं व्यापारी हूँ" के तौर पर घोषित किया है तथा जिनके पास एमसीसी "000" है तथा जो व्यापारी किसी ऐसे बैंक द्वारा ऑनबोर्ड किए गए हैं जो भीम-यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार करते हैं या उनके पास "000" से भिन्न एमसीसी है। इस योजना की अवधि 12 महीने तक है यानि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक तथा इसे सरकार के निदेशों के आधार पर कभी भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।

1.2 पैराग्राफ 2.3: व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन स्लैब है :-

क. **भीम मर्चेन्ट** : ऐसा भीम एप्प प्रयोक्ता जिसने स्वयं को "मैं व्यापारी हूँ" के तौर पर घोषित किया है तथा जिनके पास एमसीसी "000" है निम्नलिखित प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा :

क्रेडिट लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह)	दुकानदारों को प्रोत्साहन (माह के अंत में)	शर्तें
प्रोत्साहन प्राप्त करना प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला न्यूनतम लेनदेन =>10	50 रु. प्रति लेनदेन की प्रोत्साहन की ऊपरी सीमा के साथ लेनदेन मूल्य का 10%	कैशबैक के लिए योग्य न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रु. है। प्रति माह प्रति व्यापारी अधिकतम कैशबैक 1000 रुपए है। "माह" की गणना के लिए कलेण्डर माह का प्रयोग किया जाएगा।

ख) भीम – यूपीआई व्यापारी : यूपीआई के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाला और "0000" से भिन्न एमसीसी वाला किसी भी बैंक का व्यापारी

क्रेडिट लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह)	दुकानदारों को प्रोत्साहन (माह के अंत में)	शर्तें
प्रोत्साहन प्राप्त करना प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला न्यूनतम लेनदेन =>5	50 रु. के प्रति लेनदेन पर प्रोत्साहन की ऊपरी सीमा के साथ लेनदेन मूल्य का 10%	प्रोत्साहन के लिए योग्य न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रु. है। प्रति माह प्रति व्यापारी अधिकतम प्रोत्साहन 1000 रुपए है। "माह" की गणना के लिए कलेण्डर माह का प्रयोग किया जाएगा।

1.3 पैराग्राफ 3.1 प्रोत्साहन के लिए अर्हता हेतु दुकानदारों के परिभाषित लेनदेन मानदंड निम्नानुसार हैं :

क. स्वयं को "मैं दुकानदार हूँ" घोषित करने वाले और एमसीसी "0000" वाले भीम एप्प प्रयोक्ता के लिए प्रतिमाह न्यूनतम 10 क्रेडिट लेनदेन और यूपीआई के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाले तथा "0000" से अन्य एमसीसी वाले किसी भी बैंक के दुकानदार के लिए प्रतिमाह न्यूनतम 5 क्रेडिट लेनदेन।

ख. प्रोत्साहन के लिए योग्य लेनदेनों के लिए न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रु. है।

1.4 पैराग्राफ 3.2 : अन्य मानदण्ड :

- व्यापारी भीम एप्प प्रयोक्ता हो सकता है या उसे किसी वैध भीम-यूपीआई ग्राहक से भीम-यूपीआई से भुगतान प्राप्त कर सकता है।
- व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना एक मासिक योजना है तथा इस योजना के अंतर्गत "माह" की गणना के लिए कलेण्डर माह का प्रयोग किया जाएगा।
- बाद में कलेण्डर माह के 10वें दिन या इससे पहले योग्य ग्राहकों के संबंधित खातों में प्रोत्साहन क्रेडिट किए जाएंगे।
- व्यापारियों को व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना के साथ-साथ व्यक्तियों के लिए कैशबैक योजना के अंतर्गत भी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकते हैं। (व्यापारी और व्यक्ति का ओवरलेप स्वीकार्य है)

अनुबंध 1- हटाया जाना है।

अनुबंध 2- हटाया जाना है।

गोपालकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Continuation and modification of BHIM Cashback Scheme for Merchants

No. 12/13/2017-DPD-MeitY.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 05th June 2017, has notified a Scheme namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants', with the objective to promote usage of BHIM-UPI amongst merchants by incentivizing its adoptions and also to encourage transactions via BHIM-UPI platform.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, modified and extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 5th June 2017, notified under the subject namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants':-

Subject: "BHIM (Bharat Interface for Money) incentive scheme for Merchants"

1. For provisions in paragraph 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

BHIM incentive scheme for Merchants

1.1 Paragraph 2.1: The scope of the scheme shall be limited to BHIM App users who have declared themselves as "I am a merchant" and have MCC "0000" and Merchants on-boarded by any bank receiving payment through BHIM-UPI and have MCC other than "0000". The duration of the scheme is 12 months i.e. 1st April 2018 to 31st March 2019 and can be reviewed anytime based on the Government directions.

1.2 Paragraph 2.3: The incentive slabs for merchants are:

- a) **BHIM Merchant** : BHIM App User who has declared himself as "I am a merchant" and have MCC "0000" will be eligible for following incentive:

<i>No. of credit transactions (per month)</i>	<i>Incentive to the merchant (at the end of the month)</i>	<i>Conditions</i>
Minimum credit transactions to be done to start earning the incentive =>10	10% of the transaction value with an upper cap of incentive of Rs 50 per transaction	Minimum transaction value eligible for incentive is Rs. 25; Maximum incentive is Rs. 1000 per merchant per month. Calendar month will be used for calculation of "month"

- a) **BHIM-UPI merchants** : Merchant of any bank receiving payment through UPI and have MCC other than "0000"

<i>No. of credit transactions (per month)</i>	<i>Incentive to the merchant (at the end of the month)</i>	<i>Conditions</i>
Minimum transactions to be done to start earning the incentive =>5	10% of the transaction value with an upper cap of incentive of Rs 50 per transaction	Minimum transaction value eligible for incentive is Rs. 25; Maximum incentive is Rs. 1000 per merchant per month. Calendar month will be used for

		calculation of “month”
--	--	------------------------

1.3 Paragraph 3:

3.1: Defined transactions criteria for merchants to qualify for the incentive are:

a) Minimum of 10 credit transactions per month for BHIM App User who has declared himself as “I am a merchant” and have MCC “0000” and minimum of 5 credit transactions per month for the merchant of any bank receiving payment through UPI and have MCC other than “0000”.

b) The minimum transaction value for the transactions eligible for incentive is Rs 25.

1.4 Paragraph 3.2: Other criteria:

- Merchant could be a BHIM app user or receiving payment through BHIM-UPI from any valid BHIM-UPI customer.
- BHIM incentive scheme for merchant is a monthly scheme and calendar month will be used for calculation of “month” under the scheme.
- Incentive will be credited to linked accounts of the eligible customers on or before 10th day of the subsequent calendar month.
- Merchant can earn incentive under BHIM incentive scheme for merchants as well as BHIM cashback scheme for Individuals. (The overlap of merchant and individual is acceptable).

Annexure 1- To be deleted

Annexure 2 – Tobe deleted

GOPALAKRISHNAN S., Joint Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल बोनस योजना का विस्तार और संशोधन (अब व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना के नाम से पुर्ननामित)।

सं.12/13/2017-डीपीडी- एमईआईटीवाई.—जबकि, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम प्लेटफॉर्म पर नए प्रयोक्ताओं को लाने के लिए भीम के मौजूदा प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहन देने और भीम के प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भीम का प्रयोग करते हुए लेनदेन करने के लिए नवीन प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहित करने और इसके माध्यम से लेनदेनों को बढ़ाने के उद्देश्य से 'भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक' नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017 –डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी, व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, जो अब व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना के रूप में नामित की गई है, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

पैराग्राफ 1, 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों में निम्नलिखित प्रावधानों को उपयुक्त ढंग से प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात :-

1.1 पैराग्राफ 1.4 : डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार में शुरू की गई नवीन प्रौद्योगिकियों, प्लेटफॉर्मों और एप्स का अंगीकरण करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है तथा ये प्रभावशाली साबित हुई हैं। “व्यक्तियों के लिए

भीम कैशबैक योजना” को भीम एप्प पर नवीन प्रयोक्ताओं की ऑनबोर्डिंग को प्रोत्साहित करने तथा भीम-यूपीआई आधारित लेनदेन के प्रयोग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

भीम एप्प के डाउनलोड, इंस्टॉलिंग, भीम एप्प को अपने बैंक खातों के साथ लिंक करने वाले प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाना और पहला वित्तीय लेनदेन सफलतापूर्वक करना।

भीम-यूपीआई के प्रयोग द्वारा लेनदेन की संख्या में बढोत्तरी करना।

व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना

1.2 पैराग्राफ : 2.1 - इस योजना में दो घटक हैं क) भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन और ख) भीम-यूपीआई पर लेनदेन के लिए प्रोत्साहन। घटक 'क' के कार्यक्षेत्र में केवल भीम एप्प प्रयोक्ता ही आते हैं और घटक 'ख' के कार्यक्षेत्र में भीम एप्प के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प भी आते हैं। इस योजना की अवधि 12 महीने यानि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक है तथा इसे सरकार के निदेशों के आधार पर कभी भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।

1.3 पैराग्राफ 2.3 - "ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन" का भुगतान भीम एप्प के ऐसे नवीन प्रयोक्ताओं को किया जाएगा जो अपने भीम एप्प को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर उसे अपने बैंक के खाते/खातों के साथ जोड़ेंगे तथा भीम एप्प के जरिए सफलतापूर्वक एक वित्तीय लेनदेन करेंगे। "लेनदेन पर प्रोत्साहनों" का भुगतान ऐसे प्रयोक्ताओं को किया जाएगा जो भीम एप्प और/या बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प पर वित्तीय लेनदेन करते हैं।

1.4 पैराग्राफ : 2.4 – प्रोत्साहन निम्नलिखित के अनुसार दिए जाएंगे :

तालिक-I

भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन

क्र.सं.	ऑनबोर्डिंग हेतु प्रोत्साहन	प्रति भीम एप्प प्रयोक्ता कुल राशि (रु.में)
1.	नये भीम एप्प को प्रयोक्ता द्वारा डाउनलोड, इंस्टॉल किए जाने और सफलतापूर्वक एक वित्तीय लेनदेन पूर्ण किए जाने पर	51

तालिक-II

भीम एप्प पर लेनदेनों हेतु प्रोत्साहन

क्र.सं.	लेनदेनों पर प्रोत्साहन	राशि (रु. में)	शर्तें
1.	विशिष्ट वित्तीय लेनदेन के लिए भीम और बैंकों भीम-यूपीआई एप्प प्रयोक्ता	25 प्रति लेनदेन	न्यूनतम लेनदेन मूल्य 100 रु. होना चाहिए। प्रति कलेंडर माह अधिकतम 20 विशिष्ट लेनदेनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। केवल विशिष्ट लेनदेन ही प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।
2.	भीम और वित्तीय लेनदेन के लिए बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प प्रयोक्ता	प्रति माह लेनदेनों की संख्या	प्रति माह प्रोत्साहन (रु.)
		>= 25 पर 50 से कम	100
		>= 50 पर 100 से कम	200
		> 100	250
			न्यूनतम लेनदेन मूल्य 10 रु. होना चाहिए। "माह" की गणना के लिए कलेंडर माह का प्रयोग किया जाएगा।

1.5 पैराग्राफ 3.1: प्रोत्साहन अर्जित करने के लिए योग्यता:

क) “भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग हेतु प्रोत्साहन” के लिए प्रयोक्ता को भीम एप्प को डाउनलोड, इंस्टॉल बैंक खाते/खातों के साथ जोड़ना होता है तथा किसी भी मूल्य का वित्तीय लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा करना होता है। प्रोत्साहन का भुगतान केवल एक बार किया जाएगा तथा यह केवल नवीन प्रयोक्ताओं के लिए ही किया जाएगा।

ख) तालिका-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार “भीम-यूपीआई पर लेनदेनों हेतु प्रोत्साहन” का भुगतान विशिष्ट भुगतानों सहित कुल वित्तीय लेनदेनों दोनों के लिए अलग-अलग किया जाएगा।

I. विशिष्ट लेनदेनों पर प्रोत्साहन के लिए भीम एप्प और/या बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प पर वित्तीय लेनदेन करने वाले प्रयोक्ता प्रत्येक कलेंडर माह में अधिकतम 20 विशिष्ट लेनदेनों पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम लेनदेन मुल्य 100 रु. होना चाहिए।

II. 10रु. या इससे अधिक मूल्य के प्रयोक्ता लेनदेन तालिका-II की क्र.सं. 2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

ग) हटाया जाना है।

1.6 पैराग्राफ 3.2 : हटाया जाना है।

1.7 पैराग्राफ 3.3 :

क. भीम एप्प और बैंकों या *99# के भीम-यूपीआई एप्प से केवल वैध अनुमोदित लेनदेनों पर योजना हेतु विचार किया जाएगा।

ख. किसी भी दो भीम-यूपीआई प्रयोक्ताओं/व्रीपीए के बीच “विशिष्ट लेनदेन” प्रथम वित्तीय लेनदेन है।

ग. लेनदेनों पर प्रोत्साहन का भुगतान उस प्रयोक्ता को किया जाएगा जिसका खाता “वैध वित्तीय लेनदेन” के लिए डेबिट किया गया है।

घ. “वैध वित्तीय लेनदेन”: 1 रु. या इससे अधिक तथा 100,000 रु. या इससे कम की राशि का एक बैंक खाते से अन्य बैंक खाते में अंतरण।

ङ. हटाया जाना है।

च. हटाया जाना है।

अनुबंध 1- हटाया जाना है।

अनुबंध 2- हटाया जाना है।

गोपालकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Continuation and modification of BHIM (Bharat Interface for Money) referral bonus scheme for individuals (Now named as BHIM Cashback scheme for Individuals)

No. 12/13/2017-DPD-Meity.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 05th June 2017, has notified a Scheme namely ‘BHIM (Bharat Interface for Money) Referral Scheme for Individuals’, with the objective to incentivize the existing users of BHIM to bring new users on BHIM platform and encourage new users to do transactions using BHIM with the target to increase the number of users for BHIM and also increase the transaction thereof.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, modified and extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 5th June 2017, notified under the subject namely ‘BHIM (Bharat Interface for Money) Referral Scheme for Individuals’ now named as BHIM cashback scheme for Individuals:-

For provisions in paragraph 1, 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

1.1 Paragraph 1.4: In the promotion of digital payments, incentive schemes are widely used to promote adoption of the new technologies, platforms and apps that are launched in the market and it has proved effective. The “**BHIM cashback scheme for individuals**” has been designed to encourage the onboarding of new users on the BHIM App and increase the usage of BHIM-UPI based transactions. The objectives of the scheme are:

- Increase the number of users downloading, installing, linking BHIM App with their bank accounts and making first successful financial transaction.
- Increase in the number of transactions using BHIM-UPI

BHIM cashback scheme for Individuals

1.2 Paragraph: 2.1 The scheme has two components a) Incentive for onboarding over BHIM App and b) Incentive on transactions over BHIM-UPI. The scope of the component ‘a’ is only BHIM app users and the scope of the component ‘b’ is the users of BHIM app as well as BHIM-UPI apps of the banks. The duration of the scheme is 12 months i.e. 1st April 2018 to 31st March 2019 and can be reviewed anytime based on the Government directions.

1.3 Paragraph: 2.3 The “incentive for onboarding” will be paid to the new users of the BHIM app who successfully download the BHIM app, link the BHIM app with their bank account/s and undertake one successful financial transaction through BHIM app. The “incentive on transactions” will be paid to the users undertaking financial transactions on the BHIM app and/or BHIM-UPI apps of the banks.

1.4 Paragraph: 2.4 The incentives will be paid as per the following:

TABLE-I

Incentive for onboarding on BHIM app

S. No.	Incentive for onboarding	Total amount (in Rs.) per BHIM app user
1	New BHIM app user on downloading , installing and successfully completing one financial transaction	51

TABLE-II

Incentive on transactions over BHIM-UPI

S. No.	Incentive on transactions	Amount (in Rs.)		Conditions
1	BHIM and BHIM-UPI app users of banks for unique financial transaction.	25 per transaction		Minimum transaction value should be Rs 100. The incentive will be paid for maximum 20 unique transactions per calendar month. Only unique transactions will be eligible for incentive.
2	BHIM and BHIM-UPI app users of banks for financial transaction.	Number of transactions per month	Incentive per month (Rs.)	Minimum transaction value should be Rs 10. Calendar month will be used for calculation of “month”
		>=25 but less than 50	100	
		>=50 but less than 100	200	
		>=100	250	

1.5 Paragraph 3.1: Qualification to earn incentives:

- a) For “incentive for onboarding on BHIM app”, the user has to download, install and link BHIM app with the bank account/s and successfully complete one financial transaction of any value. The incentive will be paid

only one time and for the new users only.

- b) “Incentive for transactions over BHIM-UPI” will be paid separately for both unique transactions as well as total financial transactions as per the conditions mentioned in para Table-II.
- I. For incentive on unique transactions the users undertaking financial transactions on the BHIM app and/or BHIM-UPI apps of the banks shall be entitled to receive incentive on maximum 20 unique transactions in each calendar month. Minimum transaction value should be Rs 100.
 - II. All user transactions of value equal to or above Rs 10 will be eligible for incentive as per the conditions mentioned in S.No. 2 of Table-II.
- c) To be deleted

1.6 Paragraph 3.2: To be deleted

1.7 Paragraph 3.3:

- a. Only valid approved transactions from BHIM app and BHIM-UPI apps of banks or *99# will be considered for the scheme.
- b. The “unique transaction” is the first financial transaction between any two BHIM-UPI users/VPA.
- c. Incentive on the transactions will be paid to the user whose account is debited for the “valid financial transaction”.
- d. “Valid financial transaction”: Money transfer from one bank account to another bank account of amount greater than or equal to Rs. 1 and less than on equal to Rs. 1,00,000.
- e. To be deleted.
- f. To be deleted.

Annexure 1: To be deleted

Annexure 2: To be deleted

GOPALAKRISHNAN S., Joint Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना का विस्तार और संशोधन।

सं. 12/9/2017- डीपीडी-एमईआईटीवाई.—जबकि, केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम आधार व्यापारियों के अंगीकरण को प्रोत्साहन देने तथा भीम आधार का प्रयोग करते हुए और गैर-संगठित क्षेत्र के साथ-साथ नागरिकों के बीच डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार व्यापारी प्रोत्साहन नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017-डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब, केंद्र सरकार एतद्वारा व्यक्तियों के लिए ‘भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार व्यापारी प्रोत्साहन’, योजना नामक विषय के अंतर्गत अधिसूचित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I खण्ड-I में प्रकाशित भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

पैराग्राफ 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात :-

1.1 पैराग्राफ 2.1 भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना 31 मार्च, 2019 तक प्रचालन में रहेगी।

1.2 पैराग्राफ : 2.3 –

- आधार प्रमाणन के बारे में उपकरण को कोई भान (जानकारी) नहीं होगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से उपकरण यानि माइक्रो-एटीएम/पीओएस, एमपीओएस, कियोस्क/टेबलेट/मोबाइल हैंडसेट इत्यादि को शामिल किया गया है, परन्तु व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा माल और सेवाओं की बिक्री के लिए लेनदेन हो और भुगतान आधार संख्या और बायोमीट्रिक प्रमाणन द्वारा किया जाए। तथापि, माइक्रो एटीएम के जरिए व्यापारिक पत्र व्यवहार (बीसी) के जरिए नियमित रूप से किए जाने वाले बैंकिंग संबंधी लेनदेन को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- भीम आधार लेनदेनों के लिए प्रति लेनदेन 2 रुपए की न्यूनतम प्रोत्साहन और 50 रुपये की अधिकतम प्रोत्साहन के साथ 25 रुपए से अधिक या इसके समतुल्य और 10,000 रुपए से कम अथवा इसके समतुल्य राशि के लेनदेन मूल्य पर 5% की दर से प्रोत्साहन दिया जाए।
- लेनदेन मूल्य के 0.5% का संपूर्ण प्रोत्साहन अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा व्यापारी को दिया जाना है तथा किसी भी अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा अपनी बैंकिंग/प्रचालन संबंधी लागत को चुकाने के लिए प्रोत्साहन का कोई भी अंश नहीं रखा जा सकता है।

1.3 पैराग्राफ : 3.1 –

ख) प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र न्यूनतम और अधिकतम लेनदेन मूल्य क्रमशः 25 रु. और 10,000 रु. है।

1.4 पैराग्राफ : 3.2 –

(ii) भीम आधार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य व्यापारी की प्रचालन संबंधी लागत को चुकाना तथा भीम आधार आधारित डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन को प्रोत्साहित करना है।

2. अनुबंध 1-

क) “वैध वित्तीय लेनदेन - 25 रुपए से अधिक या इसके समतुल्य और 10,000 रुपए से कम अथवा इसके समतुल्य राशि का लेनदेन”।

3. अन्य शर्तें व निबंधन अपरिवर्तित रहेंगे।

गोपालकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Extension and modification in the BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive Scheme

No. 12/9/2017-DPD-MeitY.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 23rd June 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-1 Section-1, notified a Scheme namely ‘BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive, with the aim to incentivize adoption of BHIM Aadhaar merchants and promote digital payments across un-organized sector as well as the citizens using BHIM Aadhaar.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 23rd June 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-1 Section-1, notified under the subject namely ‘BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive scheme:-

1. For provisions in paragraph 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

1.1 Paragraph 2.1- The BHIM Aadhaar Merchant Incentive Scheme will be operational till 31st March 2019.

1.2 Paragraph 2.3 –

- Aadhaar Authentication be device agnostic and any device viz., Micro-ATM/PoS, mPoS, Kiosk/Tablet/Mobile Handset etc be covered provided that the transaction is for sale of goods & services by a merchant establishment and payment is by Aadhaar Number & Biometric authentication. However, regular Business Corresponent (BC) banking transactions through microATM will not be covered under the scheme.
- BHIM Aadhaar transactions may be given an incentive @ 0.5% of the transaction value for the transactions greater than or equal to Rs 25 and less or equal to Rs 10,000with a minimum incentive of Rs 2/- and maximum incentive of Rs 50/- per transaction. Maximum incentive is restricted to Rs 2,000/- per merchant per month. No incentive is to be offered to the bank.
- Entire incentive of 0.5% of the transaction value has to be passed on to the merchant by the acquiring bank and no part of the incentive can be retained by the acquiring bank to defray any of its banking/operating costs.

1.3 Paragraph 3.1 –

b. The minimum and maximum transactions values eligible under the incentive program is Rs 25 and Rs 10,000 respectively.

1.4 Paragraph 3.2 –

ii. BHIM Aadhaar incentive scheme is meant to defray the operational cost of the merchant and promote BHIM Aadhaar based digital payment transactions.

2. Annexure 1 –

a. “Valid Financial Transactions – Transaction amount greater than or equal to Rs 25 and less than or equal to Rs 10,000”.

3. Other terms and conditions remain unchanged.

GOPALAKRISHNAN S., Jt. Secy.